

अति आवश्यक/पी.ए.सी. मेटर
तिथिबद्ध

क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

प्रेषक,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
3. आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगांव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल।

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

विषय: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन – सिविल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

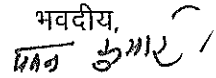
महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं तथा अनुरोध करूं कि वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 18/2/92-3 ब० व क० दिनांक 05 अगस्त, 2025 के अनुसरण में आप अपने विभाग से सम्बन्धित पैरों के एनोटेटिड उत्तर निर्धारित प्रपत्र (अंग्रेजी व हिन्दी) में अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से हरियाणा विधान सभा में प्रतिवेदन पेश होने की तिथि से 03 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर सचिव, हरियाणा विधान सभा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा तथा वित्त विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 2 (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन – सिविल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), हरियाणा सरकार की प्रति प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ की वेबसाइट (<https://cag.gov.in/ag/haryana/en/audit-report>) पर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट हरियाणा विधान सभा में दिनांक 27.08.2025 को पेश की गई है।

3. कृपया यह भी ध्यान में रखा जाये कि, समय पर उत्तर प्राप्त न होने पर लोक लेखा समिति द्वारा प्रशासकीय सचिव का मौखिक परीक्षण भी किया जा सकता है। अतः उत्तर में देरी के कारण लोक लेखा समिति की किसी भी प्रकार की प्रताड़ना से बचने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाये।

4. जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक विभाग में इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय मोनिटरिंग कमेटियों का भी गठन किया हुआ है। अतः उक्त समिति की बैठकें करके सभी सम्बन्धित पैरों का उत्तर निर्धारित सीमा के अन्दर भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,


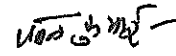
अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

पृ० क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

Contd.....

इसकी एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक HVS/PAC/19/2025/16714 दिनांक 28.8.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

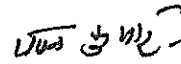


अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

पृ० क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

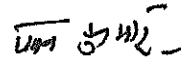
इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक Report-I/CAR-2021-22/2025-26/191 दिनांक 12 August 2025 के संदर्भ में भेजी जाती है।



अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

इसकी एक प्रति सभी प्रशासकीय प्रधान सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

2. उनसे अनुरोध है कि वे अपने विभागों से सम्बन्धित पैरों के उत्तर की 15-15 प्रतियां (2-पैन ड्राइव सहित) सचिव, हरियाणा विधान सभा तथा तीन-तीन प्रतियां महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हरियाणा/वित्त विभाग (बजट एवं कमेटी) शाखा को भिजवाने की कृपा करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि मोनिटरिंग कमेटी की मासिक बैठकें प्रत्येक मास समय पर होती रहें ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके और सभी पैरों के उत्तर समय पर भेजे जा सकें।



अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

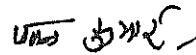
पृ० क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

अशा: क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

इसकी एक-एक प्रति वित्त विभाग की सभी सम्बन्धित शाखा अधिकारियों/अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।



अधीक्षक बजट एवं कमेटी,
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में,

वित्त विभाग की सभी सम्बन्धित शाखा अधिकारियों/अधीक्षक (केवल बजट से संबंधित)।

अशा: क्रमांक 18/4/2023-3 ब० व क०

दिनांक, चण्डीगढ़: 17.09.2025

आंतरिक वितरण:

संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर सेल) को एफडी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु